अध्याय XII : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान

12.1 सरकारी प्राप्तियों का अप्राधिकृत प्रतिधारण

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (स.प्र.प्र.स.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय, ने एक अलग चालू खाते का अनुरक्षण करके अपनी प्राप्तियों के भाग को अप्राधिकृत रूप से सरकारी खाते से बाहर रखा। इस खाते में जमा प्राप्तियों तथा किए गए व्यय ने प्र.ले.का. प्रणाली को अनदेखा किया। परिणामस्वरूप अपेक्षित जांचों से समझौता किया गया था। तथ्य, कि ये निधियां बजटीय प्रक्रिया के बाहर रखी गई थी, व्यय करने हेतु संसदीय प्राधिकरण को भी दुर्बल बनाता है।

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (स.प्र.प्र.सं.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय, एक बहुअनुशानिक संगठन है, जिसकी विशेष रूप से केन्द्रीय सचिवालय हेतु, क्षमता निर्माण, परामर्श तथा अनुसंधान सहायता में विशिष्टता है। स.प्र.प्र.सं. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के.स.से.) के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा विशेष एवं सामान्य क्षेत्रों में राज्य सरकारों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों तथा अन्य संगठनों को प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करता है। स.प्र.प्र.सं. की प्राप्तियों में मुख्यत: पाठ्यक्रम शुल्क तथा प्रशिक्षार्थियों को छात्रावास प्रदान करने हेतु प्रभारित लाईसेंस शुल्क शामिल है।

केन्द्रीय सरकारी लेखा (प्राप्तियों एवं भुगतान) नियमावली, 1983 (नियमावली) का नियम 6(I) निर्धारित करता है कि सरकार के राजस्वों अथवा प्राप्तियों अथवा बकाया के कारण प्राप्त अथवा सरकारी अधिकारी को निवेदित सभी धनराशियों को सरकारी खाते में शामिल करने हेतु, बिना किसी अनुचित विलम्ब के सकल रूप में अधिकृत बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

उपरोकथित के रूप में, प्राप्त धन को, उप-नियम (2) में प्राधिकृत[1] के अतिरिक्त, विभागीय व्यय को पूरा किए जाने हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही अन्य प्रकार से सरकारी खाते से अलग रखा जाएगा। स.प्र.प्र.सं. को इन नियमावलियों केा अनुपालन करना अपेक्षित है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सा.क्षे.उ., स्वायत्त निकायों के अनुरोध पर संगठन विशिष्ट भुगतान कार्यक्रमों का आयोजन करने के माध्यम से, स.प्र.प्र.सं. द्वारा प्राप्त, प्राठ्यक्रम शुल्कों को, इसके द्वारा भारतीय स्टैट बैंक (भा.स्टै.बै.) में अनुरक्षित अपने चालू खाते में जमा करवाया जा रहा था। इन प्राप्तियों को अप्रैल 2006 तथा मार्च 2013 के बीच, विभागीय व्यय को पूरा करने हेतु भी उपयोग किया गया था। स.प्र.प्र.सं. ने कुल ₹10.43 करोड़ की शुल्क प्राप्तियों एकत्रित की, जिसमें से ₹9.85 करोड़ का उपयोग अपने व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था। स.प्र.प्र.सं. के इस कार्य ने नियमावली का उल्लंघन किया तथा, इसलिए, यह अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि स.प्र.प्र.सं. ने भा.स्टै.बैं. में चालू खाते से किए लेन-देनों के संबंध में रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, इस खाते से व्यय, बड़े पैमाने पर, प्रशिक्षण उपकरण तथा क्म्पयूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर की खरीद, अवसंरचनात्मक विकास पर व्यय, अतिथि संकाय सदस्य केा आमंत्रित करने, संकाय को मानदेय भुगतान, पाठ्यक्रम सामग्री के मुद्रण, सफाई प्रभार, फोटोकापी प्रभार आदि के संबंध में व्यय जैसे विवेकाधीन प्रवृत्ति का था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस खाते से व्यय प्र.ले.का. प्रणाली के माध्यम से नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, अपेक्षित जॉचों को अनदेखा किया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार के नियंत्रण की सीमा के बाहर, एक अलग वित्तीय प्रणाली का अनुरक्षण करने

---

[1] पोस्टमास्टर द्वारा नगद प्राप्तियों, सिविल न्यायलय में प्राप्त जमाओं, वन विभाग द्वारा प्राप्त नगद आदि के मामले आदि के मामले में।

की स.प्र.प्र.सं. की प्रक्रिया, व्यय करने हेतु संसदीय प्राधिकरण केा दुर्बल बनाती है।

सं.प्र.प्र.सं. की वित्तीय आवश्कताओं को उपयुक्त बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाता है तथा 2012-13 के दौरान, स.प्र.प्र.सं. ने ₹30.19 करोड़ के कुल बजटीय प्रावधानों (दोनों, योजनागत तथा गैर-योजनागत) में से केवल ₹15.03 करोड़ का व्यय किया था, जो दर्शाता है कि स.प्र.प्र.सं. अपने कार्यों को करने हेतु, पर्याप्त बजटीय आवंटन प्राप्त कर रहा था।

स.प्र.प्र.सं. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में लेखा नियंत्रक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को, स.प्र.प्र.सं. को पी.डी. खाता खोलने हेतु प्राधिकृत करने का अनुरोध करते हुए, उनसे सिफारिश की, जिससे चालू खाते के क्रेडिट में पड़ी राशि को पी.डी. खाते में अंतरित किया जाए।

पी.डी. खाता खोलने हेतु स्वीकृत की मांग हेतु स.प्र.प्र.स. की प्रक्रिया चालू खाते के अप्राधिकृत संचालन के संबंध में लेखापरीक्षा के दावे को स्थापित करती है। तथ्य कि, यह व्यवस्था लम्बे समय से जारी है, जो यह भी दर्शाती है कि लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, अर्थात् इस मामले में प्रशासनिक मंत्रालय, स.प्र.प्र.सं. के लेन-देनों पर पर्याप्त निगरानी रखने में विफल रहा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारते हुए, बताया (जून 2014) कि स.प्र.प्र.सं. को मामले में उचित कार्यवाही करने की सलाह दी जा रही है।